न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 56/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राजूदेवी पुत्री श्री हरजीराम जाति जाट निवासी नून्द तहसील डेगाना जिला नागौर।		1 खींयाराम पूत्र गंगाराम 2 चेनाराम पुत्र स्व. गंगाराम 3 गीता पत्नी स्व उगमाराम 4 चेतराम पुत्र स्व उगमाराम 5 श्रीनिवास पुत्र स्व उगमाराम 6 सुखाराम पुत्र स्व उगमाराम 7 परमादेवी पुत्री स्व उगमाराम 8 मुकेश पुत्र स्व. अरजाराम 9 हितेष पुत्र स्व. अरजाराम 10 दानाराम पुत्र रामदीन 11 श्यामलाल पुत्र बींजाराम 12 लिछमणराम पुत्र बींजाराम 13 रामनिवास पुत्र हरजीराम 14 नेमाराम पुत्र हरजीराम 15 चुकादेवी पत्नी हरजीराम 16 परवीनादेवी पुत्री हरजीराम जातियान जाट निवासीगण नून्द तहसील डेगाना जिला नागौर 17 तहसीलदार डेगाना

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, 02, तथा 04 से 09 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 17 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 19.07.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार डेगाना मौजा नून्द के बंटवाडा आदेश दिनांक 22.12.07 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.07.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 31.07.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01, 02, तथा 04 से 09 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पो. संख्या 17 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 03 तथा 10 से 16 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के बंटवारा आदेश 22.12.2007 की प्रमाणित प्रति, ग्राम नून्द की जमाबंदी सम्वत 2059 की फोटोप्रति, नामान्तरण संख्या 497 की फोटोप्रति, नामान्तरकण संख्या 491 की फोटोप्रति, ग्राम नून्द के मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2065 से 84 की फोटोप्रति, ग्राम नून्द की जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 की फोटोप्रति, ग्राम नून्द के नक्शा–4 एवं जमाबंदी की फोटोप्रति, रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 तथा 04 से 09 के अधिवक्ता ने न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना ने प्रस्तुत वाद चकू देवी बनाम दानाराम व अन्य में प्रस्तुत दावा व जवाब दावे की फोटोप्रति पेश की। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1–2 व 4–9 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का दिनांक 18.06.2024 को दस्तावेज रिकार्ड पर लेने बाबत पेश किया। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2024 का जवाब न देकर सीधे ही बहस की। जिसका निर्णय अपील के अंतिम निर्णय के साथ ही करने का विनिश्चय किया गया। जिसको वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2024 को स्वीकार कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस करते हुए अपने तथ्यो को दोहराया तथा तर्क दिया कि –

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील गलत, गैर कानूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त के है।

{2}(II)– अपीलाधीन भूमि अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि थी व धारा 53 राजस्थान टि. एक्ट के तहत तहसीलदार के समक्ष सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर/अं.नि. से सहमति से बंटवाडा का आवेदन व फार्म पेश होने पर ही बंटवाडा किया जा सकता है अन्यथा समक्ष न्यायालय की डिक्री से ही बंटवाडा होता है जबकि प्रकरण हाजा में अपीलांट जो कि खसरा नम्बर 238/2 की सहखातेदार थी उसकी जानकारी के विना उसके साथ छल कपट धोखाधडी करते हुए बिना हस्ताक्षर/अं.नि. करवाये, बिना सहमति से बंटवाडा फार्म में केवल उसका नाम लिख कर दीगर रेस्पोडेंटान ने आपसी मिलीभगती व दूरभिसंधी से मनमर्जी से मौके की स्थिति के विपरीत आदेश पारित करवा लिया, जिससे उक्त अंटवाडा आदेश अपने आप में अवैध, बिना विधिक प्रक्रिया, विना सभी सहखातेदारों से पूछताछ किये बिना सभी सहखातेदारो से पूछताछ किये

19/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

बिना सभी सहखातेदारो से पूछताछ किये बिना सभी सहखातेदारी की सहमति से करवाया गया आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपील के जरिये अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

{2}(III)– उक्त बंटवाडा आवेदन/फार्म में कांट छांट की हुई है जो बाद में की गयी है इसके अलावा उस आवेदन पर कहीं पर भी अपीलांट सहखातेदार के हस्ताक्षर व अं.नि. नहीं है। इसके अलावा उस आवेदन पर कहीं पर भी अपीलांट सहखातेदार के हस्ताक्षर व अं. नि. नहीं है जिससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही अपराधिक षडयंत्र से व मिलीभगती से विधि विरूद्व की गयी है जिससे ऐसा आदेश विधि सम्मत नहीं हो सकता है इसलिए अपास्त किए जाने योग्य है।

{2}(IV)–उस समय के सहखातेदारो ने अपीलांट को धोखे में रख कर जो वंटवाडा आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही की व पटवारी हल्का आदेश से जो नक्शा बनवाया उसका अवलोकन करने से वर्तमान ऑन लाईन नक्शा से प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 238/2 स्व. अरजाराम व स्व. दानाराम के जो मनमर्जी से बंट बताये है हालांकि वह भी सरासर गलत बताये गये थे लेकिन उसके बाद जो नया नक्शा बना उसमें भी नये खसरा नम्बर 430/353 व 429/353 को खसरा नम्बर 526/363 में काफी वढा कर दर्ज करवा लिया। इस प्रकार मौके व रेकर्ड के विपरीत सारी मिथ्या कार्यवाही षडयंत्रपूर्वक ढंग से की व करवाई गयी होने से भी ऐसा आदेश विधि सम्मत नहीं है व स्थिर रहने योग्य नहीं है।

{2}(V)– अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला है उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उसको बंटवाडा की जानकारी दिये बिना दीगर रेस्पोडेंट व मृत खातेदार गंगाराम, उगामराम, अरजाराम ने मिलीभगती से ऐसी विधि विरूद्व कार्यवाही की व करवाई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व बनता था कि खतौनी में दर्ज सभी सहखातेदारो से विधिवत पूछताछ करते व सभी के हस्ताक्षर/अं.नि. बंटवाडा आवेदन में है या नहीं, इसकी जांच करते, जबकि तहसीलदार ने न तो अपीलांट सहखातेदार के संबंध में कोई पूछताछ की न ही उसके हस्ताक्षर/अं.नि. बंटवाडा आवेदन में नहीं होने बाबत कोई जांच की और दीगर सहखातेदारो के दबाव व प्रभाव में आकर आनन फानन में मौके की स्थिति के विपरीत बंटवाडा आदेश पारित कर दिया जबकि बंटवाडा आवेदन में बताये अनुसार उक्त खसरा पर मौके पर ऐसा कोई बंटवाडा न तो पहले था न आज दिन है इस कारण आदेश जैर अपील अपास्त कर रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल कर सक्षम न्यायालय से मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा सभी सहखातेदारो को पक्षकार बना कर करवाने हेतु उचित आदेश/निर्देश दिये जाना पत्रावली के तथ्यों व परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है जिसके पर्याप्त कारण व आधार मौजूद है।

{2}(VI)– आदेश जैर अपील इललिगल एंड एररनेस है। चूंकि कानून अनुसार तहसीलदार ने न तो मौका देखा और न ही भौतिक विभाजन संबधी नियमों की पालना की और न ही भौतिक विभाजन संबंधी नियमो की पालना की और न ही ऐसे मामलो में कोई स्टाम्प ड्यूटी ही ली गई ऐसी सूरत में अपीलाधीन आदेश निरस्त लायक है।

{2}(VII)– उक्त बंटवाडा आदेश में अपीलांट की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 238/2 के साथ साथ दीगर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 के अन्य खसरा नम्बर 233 का भी हवाला है उससे अपीलांट को कोई सरोकार नहीं है इसलिए यह अपील खसरा नम्बर 238/2 के बंटवाडा व उसके बने खसरान के संवंध में पेश की गई।

{2}(VIII)– पक्षकारान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के पिता व पति गंगाराम, उगमाराम, अरजाराम व दीगर रेस्पोडेंट संख्या 10 से 16 की संयुक्त खातेदारी व कब्जासुद की संयुक्त खातेदारी व कब्जासुद आराजी खसरा नम्वर 238/2 रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा नून्द तहसील डेगाना में स्थित रहता चला आया था। उपरोक्त खेत में अपीलांट सहखातेदार व मौके पर काबिज काश्तकार हुई, रही व है। लेकिन कालान्तर में दीगर सहखातेदारों ने अपीलांट को सूचना दिये बिना व सहखातेदार की सहमति लिये विना व उसकी जानकारी के बिना बाले बाले उक्त खसरा नम्बर 238/2 का तहसीलदार डेगाना के समक्ष सभी सहखातेदारों की ओर से बंटवाडा करवाने का मिथ्या आवेदन पेश कर दिया जबकि सहखातेदार अपीलांट राजूदेवी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी न सहमति दी। इसके बावजूद उक्त अपीलांट की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 238/2 का अपनी इच्छा अनुसार अपने बंट में मौके की अच्छी जमीन वताकर वंटवाडा आदेश दिनांक 22.12.2007 को बाले बाले विधि विरूद्व पारित करवा लिया व अपीलांट महिलाजात होने से रेकर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती है न उसे कभी रेकर्ड की पूर्व में

19/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

आवश्यकता हुई तथा उक्त विधि विरूद्व बंटवाडा आदेश की आड में उत्तरोतर गलत इन्द्राज होते हुए इस खसरा में मृत खातेदार गंगाराम, उगमाराम, अरजाराम के वारीसान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 की गलत खातेदारी दर्ज होती गयी। अपीलांट को हाल ही में सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु व अन्य प्रयोजनार्थ खतौनी की आवश्यकता हुई तब पता चला कि उक्त खसरा नम्बर 238/2 का सन 2007 में ही अपीलांट सहखातेदार को बिना सूचना दिये बंटवाडा करवा लिया व अपीलांट के बंट की जमीन इस खसरा में जहां सुविधा अनुसर रही उससे अब रेस्पोडेंट अपीलांट को बेदखल करने की भी धमकियां दी व अपने नाम खातेदारियों अलग अलग होने की जानकारी दी तब पता करवाया व नकले ली तो जानकारी हुई कि कथित विधि विरूद्व बंटवाडा आदेश की आड में खसरा नम्बर 238/2 के नये खसरा नम्बर 526/353 रकबा 6.2400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 527/353 रकबा 0.05 हैक्टेयर गे.मु. रास्ता खसरा नम्बर 430/353 रकबा 0.238 हैक्टयर, खसरा नम्बर 429/353 रकवा 0.1620 हैक्टयर, खसरा नम्बर 432/353 रकवा 2.59 हैक्टेयर कायम वर्तमान रेकर्ड में कायम है। अपीलांट ने इस बाबत जानकारों से पता करवा कर नकलो का आवेदन पेश करवाया जिस पर दिनांक 21.07.2023 को नकले मिलने पर छल कपट धोखाधडी से करवाये गये बंटवाडा आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई व उसके विरूद्व अपील पेश करने की सलाह मिलने पर दिनांक 21.07.2023 को ही नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताये व सांय तक अपील तैयार करवाई तत्पश्चात दिनांक 22 व 23.07.2023 को शनिवार व रविवार का अवकाश होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की। जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011(1) पेज 57 से 64 तथा आरआरटी 2012(1) पेज 658 से 661 तक नजीरे पेश की।

{3}—रेस्पोडेन्ट संख्या 01—02 व 04—09 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की माता श्रीमति चकु देवी पत्नी स्वयं हरजीराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना में राजस्व वाद दिनांक 24.01.2020 को पेश किया था जिसका मुकदमा नम्बर 42/2020 है तथा उक्त प्रकरण में राजूदेवी व उसके सभी भाईयों को पक्षकार बनाया हुआ है, जो फोर्मल पक्षकार है तथा उक्त अपील में भी अपीलांट की माता व भाई पक्षकार है। राजस्व वाद में वादीनी द्वारा अपीलाधीन आदेश के संबंध में जानकारी होने के तथ्य भी उल्लेखित किये है अर्थात अपीलांट को भी उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी सन् 2020 में हो चुकी है तथा उसके बावजूद कोई अपील पेश नही की गई तथा अपील सन 2023 में पेश की गई, जिसके संबंध में प्रतिदिन की देरी के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जबकि अपीलांट ने दिन प्रतिदिन की देरी के संबंध में कोई कारण उल्लेखित नहीं किये है तथा मिथ्या रूप से दिनांक 21.07.2023 को जानकारी होने का कथन किया है। उक्त अपील 16 वर्ष बादे पेश की है तथा उक्त अपील की मयाद के संबंध में कोई उचित व न्याय संगत कारण अपीलांट ने अपने आवेदन में उल्लेखित नहीं किया हैं, इसलिए उक्त अपील मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट की माता ने न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना में पूर्व में एक वाद पेश किया हुआ है अतः न्यायालय हाजा में यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवाडा विधिअनुसार किया है जो यथावथ कायम रखा जाना चाहिए तथा अपने कथन के समर्थन में आआरटी 2010(1) पेज 413 से 424 तक, आरआरटी 2010(2) पेज 801 से 802 तक, आरआरटी 2011(2) पेज 851 से 852 तक, आरआरटी 2014(2) पेज 1476 से 1478 तक, आरआरटी 2017(1) पेज 117 से 120 तक नजीरे पेश की।

{4}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार डेगाना मौजा नून्द के बंटवाडा आदेश दिनांक 22.12.07 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के बंटवाडा दिनांक 22.12.2007 में अपीलांट के कहीं भी हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान नहीं है. तहसीलदार को सहखातेदारों की विना लिखित सहमति के बंटवाडा करने का अधिकार नहीं है अधीनस्थ ट्रायल न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षकारों/दस्तावेजों का अवलोकन करते एवं सभी सहखातेदारों की लिखित सहमति से बंटवाडा आदेश पारित करते। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की विना सहमति के इकतरफा पारित हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

19/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसील डेगाना के ग्राम नून्द का बंटवाडा आदेश दिनांक 22.12.2007 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

19/7/24
अपर कलक्टर, नागौर